अध्याय 1
प्रस्तावना

1.1 लेखापरीक्षा प्रतिवेदन रूपरेखा

इस लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में रेल मंत्रालय (रेलवे बोर्ड सहित संपूर्ण भारत में रेल मंत्रालय के अंतर्गत क्षेत्रीय रेलवे, रेलवे पीएसयू और स्वायत्त निकाय) के नियंत्रण के अंतर्गत लेखापरीक्षित संस्थानों के व्यय, प्राप्ति, परिसंपत्ति और देयता से संबंधित लेनदेनों की समीक्षा के परिणाम शामिल हैं। इसमें सरकारी व्यय पर प्रभावी नियंत्रण तंत्र बनाने और प्रबंध करने और दुरूपयोग, अपव्यय और हानि के प्रति बचाव करने के लिये उचित नियमों की पर्याप्तता, वैधता, पारदर्शिता आदि की जांच शामिल है।

मार्च 2016 में समाप्त वर्ष हेतु लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में छः अध्याय हैं। अध्याय 1 प्रकृति में परिचयात्मक है और इसमें रेलवे और उसके लेखापरीक्षा से संबन्धित मामलों सम्मिलित है। अन्य पांच अध्यायों में भारतीय रेल की कार्यप्रणाली और परिचालन अर्थात यातायात, ट्रैक्शन, रोलिंग स्टॉक, इंजीनियरिंग, स्टाफ के मामले और रेलवे पीएसयू के महत्वपूर्ण क्षेत्रों से संबंधित लेखापरीक्षा परिणाम शामिल हैं।

यह प्रतिवेदन अत्यधिक महत्वपूर्ण लेखापरीक्षा परिणाम प्रस्तुत करती है जिनका उद्देश्य उन्नत निष्पादन और बेहतर वित्तीय प्रबंधन करने के लिये सुधारात्मक कार्यवाही करने के लिये कार्यकारी की सहायता करना है। सभी क्षेत्रीयरेलवे को कवर करते हुये निम्नलिखित चार मामलों पर विस्तृत परिणाम, इस प्रतिवेदन में शामिल किये गये हैं।

(i) भारतीय रेलवे में पार्सल कारोबार
(ii) भारतीय रेल में कंटेनर ट्रेन परिचालन
(iii) भारतीय रेल में ऊर्जा संरक्षण उपाय
(iv) भारतीय रेल में लिनन का प्रबंधन

इसके अतिरिक्त, संबंधित क्षेत्रीयरेलवे को कवर करते हुये 31 अलग-अलग पैराग्राफ में शामिल विस्तृत लेखापरीक्षा परिणाम इस प्रतिवेदन के अध्याय 2 से 6 तक प्रस्तुत किये गये हैं।

1.2 अध्याय रूपरेखा

इस अध्याय के पैरा 1.3 और 1.4 में रेल मंत्रालय (एमओआर) और उसके अधीनस्थ क्षेत्रीय कार्यालयों की व्यापक प्रोफाइल की रूपरेखा है। पैरा 1.5 से 1.7 तक लेखापरीक्षा हेतु इकाइयों के चयन का आधार लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में

लेखापरीक्षा आपत्ति शामिल करने के लिये रिपोर्टिंग प्रक्रिया और अनंतिम पैराग्राफों के लिये रेलवे प्राधिकारियों से प्राप्त उत्तर कवर करता है। पैरा 1.8 से 1.11 तक लेखापरीक्षा आपित्तयों की वर्ष-वार लंबितता का सार और प्रभावित वसूलियों के संबंध में लेखापरीक्षा का प्रभाव और की गई सुधारात्मक कार्रवाई कवर की गई है।

1.3 लेखापरीक्षित संस्थान

भारतीय रेल 66,687 कि.मी की कुल लंबाई की मल्टी-गेज, मल्टी-ट्रेक्शन प्रणाली है (31 मार्च 2016 तक) और एक प्रबंधन के अंतर्गत विश्व का सबसे लंबा रेल नेटवर्क है। भारतीय रेल में मार्ग/ट्रेक की लंबाई के संबंध में कुछ महत्वपूर्ण आंकडे नीचे दिये गये हैं:

तालिका 1.1

	ब्रॉड गेज (1,676 मिमी)	मीटर गेज (1,000 मिमी)	नैरो गेज(762/610 मिमी)	कुल
मार्ग किलोमीटर	60,510	3,880	2,297	**66,687**
रनिंग ट्रैक किलोमीटर	85,617	4,170	2,297	**92,084**
कुल ट्रैक किलोमीटर	1,12,496	4,639	2,495	**1,19,630**
विद्युतीकृत मार्ग किलोमीटर				**23,555**
विद्युतीकृत रनिंग ट्रैक किलोमीटर				**43,357**

भारतीय रेलवे प्रतिदिन 13,313 यात्री गाड़ियों और 9,212 मालगाडियों का संचालन करती है। 2015-16 के दौरान, भारतीय रेल में प्रति दिन 22.21 मिलियन यात्रियों ने यात्रा की और 3.03 मिलियन टन माल का लदान किया। 31 मार्च 2016 तक, भारतीय रेल में 1.33 मिलियन कार्य-बल था और निम्नलिखित ढांचागत परिसंपत्तियों और रोलिंग-स्टॉक का रखरखाव किया गया :

तालिका 1.2

रोलिंग स्टॉक	***संख्या***
लोकोमोटिव	11,122
कोचिंग वाहन	70,241
मालभाडा वैगन	2,51,256
स्टेशन	7,216

स्रोत: भारतीय रेलवे की वार्षिक पुस्तक 2015-16 और भारतीय रेलवे की वेबसाइट

संगठनात्मक संरचना[1]

रेल मंत्रालय, भारत सरकार के अधीनस्थ मंत्रालय, देश के रेल यातायात के लिये उत्तरदायी है। रेल मंत्रालय में एक केन्द्रीय मंत्री रेलवे (कैबिनेट मंत्री) और दो राज्य मंत्री हैं ।

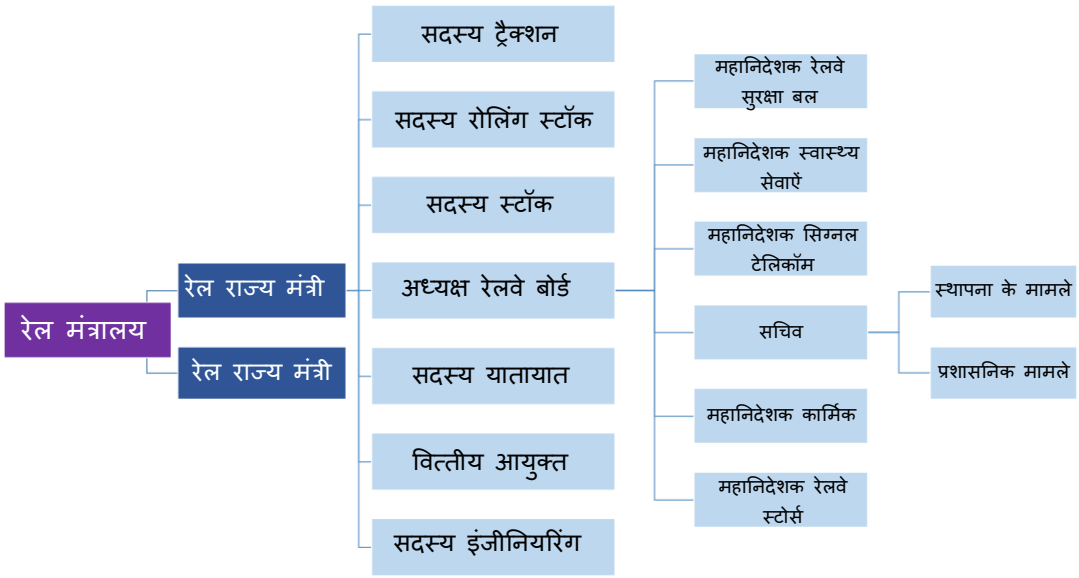

रेलवे बोर्ड (आरबी), जो भारतीय रेल का शीर्ष निकाय है, रेल मंत्रालय को प्रतिवेदन करता है। रेलवे बोर्ड, अध्यक्ष रेलवे बोर्ड (सीआरबी) की अध्यक्षता में कार्य करता है और पांच सदस्य होते हैं (ट्रैक्शन, रोलिंग स्टॉक, यातायात, स्टाफ और इंजीनियरिंग) और वित्तीय आयुक्त (रेलवे) बोर्ड रेल सेवाओं, अधिग्रहण, निर्माण और परिसंपत्तियों के रखरखाव और परिचालन के सभी मामलों पर और नीतियों और क्षेत्रीय रेलवे में निर्देशों के क्रियान्वयन की निगरानी के लिये नीतियां निर्धारित करने के लिये उत्तरदायी है। रेलवे बोर्ड दोनों यात्री किराये और मालभाडा शुल्क का मूल्य निर्धारण नियमित करने के लिये भी उत्तरदायी है। प्रत्येक सदस्य के अंतर्गत कार्यकारी निदेशक निर्णय लेने और रेलवे परिचालन की निगरानी में सहायता और सहयोग प्रदान करते हैं।

क्षेत्रीय स्तर पर, 17 क्षेत्रीय रेलवे हैं। इसके अतिरिक्त, एक अनुसंधान और मानक संगठन अर्थात अनुसंधान, डिजाइन, और मानक संगठन (आरडीएसओ) लखनऊ है; विशेष मशीनरी की खरीद हेतु कार्यशालाओं के आधुनिकीकरण के लिये केन्द्रीय संगठन (सीओएफएमओडब्ल्यू); दो लोकोमोटिव निर्माण इकाइयां डीजल रेल इंजन कारखाना (डीएलडब्ल्यू) और चितरंजन रेल इंजन कारखाना (सीएलडब्ल्यू) क्रमशः

[1] 21 दिसंबर 2016 तक

वाराणसी और चितरंजन में; कपूरथला, रायबरेली और पैरांबूर में तीन कोच फ़ैक्ट्रियां, येलहंका और बेला में दो व्हील और एक्सल प्लांट; और पटियाला में डीजल आधुनिकीकरण कारखाना है।

31 मार्च 2016 तक अपने मुख्यालय और कुल मार्ग किलोमीटर (आरकेएम) सहित क्षेत्रीय रेलवे का विवरण नीचे दिया गया है:

तालिका 1.3

क्षेत्रीयरेलवे	मुख्यालय	रुट किमी
मध्य	मुंबई	4,063
पूर्व	कोलकाता	2,711
पूर्व मध्य	हाजीपुर	3,925
पूर्व तट	भुवनेश्वर	2,722
उत्तर	नई दिल्ली	7,301
उत्तर मध्य	इलाहाबाद	3,364
उत्तर पूर्वी	गोरखपुर	3,869
पूर्वोत्तर सीमांत	मालीगांव (गुवाहाटी)	4,072
उत्तर पश्चिमी	जयपुर	5,550
दक्षिण	चेन्नई	5,074
दक्षिण मध्य	सिकंदराबाद	6,028
दक्षिण पूर्व	कोलकाता	2,716
दक्षिण पूर्व मध्य	बिलासपुर	2,505
दक्षिण पश्चिम	हुबली	3,322
पश्चिम	मुंबई	6,440
पश्चिम मध्य	जबलपुर	2,997
मेट्रो रेलवे	कोलकाता	28
कुल		**66,687**

प्रत्येक क्षेत्रीयरेलवे का अध्यक्ष महाप्रबंधक होता है जिसकी सहायता परिचालन, वाणिज्यिक, इंजीनियरिंग, इलैक्ट्रिकल, मैकेनिकल, स्टोर्स, अकाउंट, सिग्नल और टेलिकम्यूनिकेशन, कार्मिक, सुरक्षा, चिकित्सा आदि विभाग के प्रधान विभागाध्यक्षों द्वारा की जाती है।

उपरोक्त के अतिरिक्त, रेल मंत्रालय के नियंत्रण के अंतर्गत 31 मार्च 2016 तक भारतीय रेलवे के 36 सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम (पीएसयू) हैं। यह पीएसयू उसके रोलिंग स्टॉक, वैगनों के निर्माण, बुनियादी ढांचा परियोजनाओं के निष्पादन, रेल यातायात के कंटेनराइजेशन का प्रबंधन, खानपान और पर्यटन, स्टेशन विकास, रेलवे

दूरसंचार नेटवर्क के उपयोग आदि हेतु वित्तीय वृद्धि के विविध और विशिष्ट उद्देश्यों सहित मंत्रालय द्वारा स्थापित किये गये थे।

1.4 एकीकृत वित्तीय सलाह और नियंत्रण

क्षेत्रीयरेलवे में वित्तीय आयुक्त (रेलवे) और वित्तीय सलाहकार और मुख्य लेखा अधिकारियों (एफएएंडसीएओ) की अध्यक्षता में रेलवे बोर्ड दोनों में पूर्ण रूप से एकीकृत वित्तीय सलाह नियंत्रण प्रणाली मौजूद है। वित्तीय प्रमुख सलाह देने और राजकोष से व्यय से संबंधित सभी प्रस्तावों की समीक्षा करने के लिये उत्तरदायी है।

1.5 लेखापरीक्षा योजना

व्यापक रूप से, रेलवे की लेखापरीक्षा हेतु इकाइयों का चयन योजित बजट के स्तर, आबंटित और परियोजित संसाधनों, आंतरिक नियंत्रण के अनुपालन की सीमा, शक्तियों के प्रत्यायोजन का प्रयोजन, कार्य/गतिविधि की संवेदनशीलता और गंभीरता, बाहरी परिस्थिति कारक आदि के संबंध में जोखिम आकलन के आधार पर नियोजित किया जाता है। पूर्व लेखापरीक्षा परिणाम, लोक लेखा समिति (पीएसी) की सिफारिशें, मीडिया प्रतिवेदन, जहां उचित हो को भी ध्यान में रखा जाता है। ऐसे जोखिम आकलन के आधार पर 2015-16 के दौरान रेलवे की 4,378 संस्थाओं/इकाइयों की नमूना लेखापरीक्षा की गई थी।

लेखापरीक्षा योजना ने मालभाडा शुल्क, आय, बुनियादी ढांचा विकास, यात्री सुविधाओं, परिसंपत्ति प्रबंधन, सामग्री प्रबंधन और सुरक्षा कार्य कवर करते हुये अन्य बातों के साथ-साथ उसके क्रियान्वयन और नीति के संबंध में महत्वपूर्ण प्रकृति के मामलों को चयनित करने पर ध्यान केन्द्रित किया। प्रत्येक अध्ययन मुख्य लेखापरीक्षा परिणाम और निष्कर्षों के बाद लेखापरीक्षा सिफारिशें स्पष्ट करता है, जो रेलवे में प्रणाली विकसित करने और आंतरिक नियंत्रण तंत्र मजबूत करने में सहायता कर सकता है।

1.6 रिपोर्टिंग

रेलवे बोर्ड के साथ-साथ क्षेत्रीय इकाइयों के संबंधित रिकॉर्ड और दस्तावेजों की समीक्षा करते हुये क्षेत्रीयरेलवे में चयनित विषयों की लेखापरीक्षा की गई थी। डेटा में से उचित नमूनों का चयन किया गया था ताकि अध्ययन के अंतर्गत मामलों को पर्याप्त रूप से कवर किया जा सके। उसके उत्तर के लिये संबंधित क्षेत्रीय प्रबंधन को लेखापरीक्षा परिणाम जारी कर दिये गये थे। इसी प्रकार, वाउचर और निविदाओं की नियमित लेखापरीक्षा से प्राप्त लेखापरीक्षा नोट/निरीक्षण प्रतिवेदन (आईआर)/विशेष जानकारी को उनके उत्तर प्राप्त करने के लिये इकाई के प्रमुख

और संबद्ध वित्त को जारी किये गये थे। लेखापरीक्षा परिणाम या तो समाप्त थे या की गई कार्रवाई के आधार पर अनुपालन हेतु आगे की कार्रवाई करने की सलाह दी गई थी। अनुपालन न किये गये महत्वपूर्ण लेखापरीक्षा आपत्तियों का निर्धारित अवधि के अंदर उत्तर प्राप्त करने हेतु एफएएंडसीएओ और विभागाध्यक्षों को अनुमोदित प्रतियों सहित क्षेत्रीयरेलवे के महाप्रबंधन को संबोधित करते हुये मसौदा पैराग्राफ के माध्यम से आगे की कार्यवाही की गई थी। इन मसौदा पैराग्राफों में उठाये गये चयनित मुद्दो की लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में उन्हें शामिल करने से पूर्व छः सप्ताह (पीएसी द्वारा निर्धारित अनुसार) की अवधि के अंदर उनका उत्तर प्रस्तुत करने के लिये रेल मंत्रालय (रेलवे बोर्ड) के साथ अनंतिम पैराग्राफों के रूप में चर्चा की गई थी।

1.7 अनंतिम पैराग्राफों पर मंत्रालय/विभाग का उत्तर

समीक्षा सहित कुल 165 मसौदा पैराग्राफ जनवरी 2017 तक संबंधित क्षेत्रीयरेलवे के महाप्रबंधकों को जारी किये गये थे, रेलवे प्रशासन के उत्तरों पर विचार करने के बाद, जहां भी प्राप्त हुये थे, लेखापरीक्षा रिपोर्टों में शामिल किये जाने हेतु प्रस्तावित 37 अनंतिम पैराग्राफ (सभी क्षेत्रीयरेलवे को कवर करते हुये चार समीक्षा सहित) 14 जून 2016 से 6 जनवरी 2017 के बीच अध्यक्ष रेलवे बोर्ड, संबंधित सदस्यों और वित्तीय आयुक्त को अग्रेषित किये गये थे। इन 37 में से, 35 अनंतिम पैराग्राफ, इस लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में शामिल किये गये हैं। 28 फरवरी 2017 तक, आठ अनंतिम पैराग्राफों के संबंध में रेलवे बोर्ड का उत्तर प्राप्त हुआ और उस पर विचार किया गया और उचित पैराग्राफों में यथोचित रूप से शामिल किया गया है।

1.8 जारी की गईं, निपटाई गई और शेष लेखापरीक्षा आपत्तियां

नमूना लेखापरीक्षा के परिणामों के आधार पर, वर्ष 2015-16 के दौरान, ₹ 11,568 करोड़ की वित्तीय अनियमितताओं से जुडी कुल 4,182 लेखापरीक्षा आपत्तियां विशेष पत्रों, भाग-I लेखापरीक्षा नोट्स और निरीक्षण प्रतिवेदन के माध्यम से जारी की गई थीं। इसके अतिरिक्त, पूर्व वर्ष से संबंधित 8,584 लेखापरीक्षा आपत्तियां नहीं आगे ले जाई गई हैं। वर्ष के दौरान कुल 4,323 लेखापरीक्षा आपत्तियों का निपटान किया गया था क्योंकि रेल प्रशासन ने संबंधित राशि की वसूली की/सहमत हुआ या सुधारात्मक/उपचारात्मक कार्यवाही की। 31 मार्च 2016 को शेष 8,443 लेखापरीक्षा आपत्तियों में ₹ 28,083 करोड़ की वित्तीय अनियमितताएं शामिल थीं।

1.9 लेखापरीक्षा के कहने पर की गई वसूलियां

लेखापरीक्षा ने वर्ष 2015-16 के दौरान विभिन्न क्षेत्रीयरेलवे में ₹ 1029.53 करोड़ की राशि के किराये और अन्य आय की वसूली में कम प्रभारित करने, स्टाफ और अन्य एजेंसियों को अधिक भुगतान, रेलवे के बकाया की गैर-वसूली आदि के मामलें बताये। वसूली के लिये ₹ 123.28 करोड़ की राशि स्वीकार की गई थी (₹ 80.27 करोड़ वसूल किये गये और ₹ 43.00 करोड़ की वसूली के लिये सहमति)। प्रत्येक तीन क्षेत्रीयरेलवे ने ₹ 10 करोड़ से अधिक की वसूली लेखाबद्ध की अर्थात दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे (₹ 28.41 करोड़), पूर्व मध्य रेलवे (₹ 14.36 करोड़) और दक्षिण मध्य रेलवे (₹ 11.13 करोड़)। स्वीकार की गई ₹ 123.28 करोड़ की वसूली की कुल राशि में से, ₹ 57.67 करोड़ की राशि उन लेनदेनों से संबंधित थी जिनकी संबंधित रेलवे के लेखा विभाग द्वारा पहले ही जांच कर ली गई थी और ₹ 65.41 करोड़ लेखा विभाग द्वारा जांच किये गये के अतिरिक्त थी। लेखा विभाग द्वारा की गई आगे की समीक्षा के परिणामस्वरूप, रेलवे द्वारा और ₹ 0.18 करोड़ की वसूली की गई/सहमति दी गई।

1.10 सुधारात्मक कार्यवाई

रेलवे बोर्ड ने बेहतर और उन्नत अनुपालन हेतु 2015-16 के दौरान मालभाड़ा शुल्क में उचित परिवर्तन करके और निर्देश जारी करके पूर्व वर्ष में जारी लेखापरीक्षा आपत्तियों के उत्तर में सुधारात्मक कार्रवाई की। कुछ महत्वपूर्ण मामले नीचे उल्लिखित हैं:

तालिका 1.4

पैरा संख्या/प्रतिवेदन संख्या	लेखापरीक्षा आपत्ति	मंत्रालय द्वारा की गई कार्रवाई
2011-12 की प्रतिवेदन संख्या 32 का लेखापरीक्षा पैरा संख्या 2.6	पश्चिम रेलवे पर नियमित रूप से लंबे मार्ग में समन्वय जारी रखने के बावजूद, मार्ग को युक्तिपरक बनाने के लिये रेल प्रशासन द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की गई थी।	रेल प्रशासन ने मार्ग को युक्तिपरक बनाने के लिये विधिवत रूप से निर्णय लिया (मई 2015) है।

तालिका 1.4

पैरा संख्या/प्रतिवेदन संख्या	लेखापरीक्षा आपत्ति	मंत्रालय द्वारा की गई कार्रवाई
2011-12 की प्रतिवेदन संख्या 32 का लेखापरीक्षा पैरा संख्या 3.3	आरओबी/आरयूबी को पूर्ण रूप से सफल बनाने के लिये राज्य सरकार के साथ समायोजन करने में रेलवे' के प्रयास अपर्याप्त थे। रेलवे को एलसी/आरओबी/आरयूबी की योजना और निगरानी पर और राज्य सरकार के साथ सामान्य सहमति योजना के प्रति कार्य प्राथमिक रूप से पहले पूर्ण करने वाला दृष्टिकोण अपनाने और सुनिश्चित करने की आवश्यकता है, ताकि लेवल क्रॉसिंग को सहमत समय-सीमा के अंदर बंद करने का लक्ष्य प्राप्त हो जाये।	रेलवे बोर्ड ने जून 2015 में क्षेत्रीयरेलवे को सुधारात्मक उपाय अर्थात राज्य सरकार द्वारा भूमि अधिग्रहण के लिये अग्रिम में कार्यवाई करने पर जोर देने जहां मुश्किलें पूर्वानुमानित हैं, रेलवे के साथ परामर्श से संयुक्त रूप से स्थल का अनुमोदन, संयुक्त रूप से मार्ग में परिवर्तन, आरओबी/आरयूबी को एकल संस्था आधार पर पूरा करना, एनआरईजीए और एमपीएलएडी निधि के अंतर्गत आरओबी/आरयूबी कार्य स्वीकृत करने आदि के निर्देश दिये।
अध्याय-2 भारतीय रेल में सुरक्षा मदों का वितरण और उपयोग (2015 की प्रतिवेदन संख्या 29)	क्षेत्रीयरेलवे में समान निगरानी के लिये पीएल संख्या का एकीकरण और सुरक्षा मदों के मानकीकरण हेतु रेलवे बोर्ड के निर्देशों का पालन नहीं किया गया था।	जुलाई 2015 में रेलवे बोर्ड ने सुरक्षा श्रेणी के अंतर्गत अखिल भारतीय आधार पर एकीकृत पीएल संख्या के साथ सुरक्षा मदों की सूची जारी की। रेलवे द्वारा खरीदे जा रहे सुरक्षा मदों के वर्गीकरण में क्षेत्रीयरेलवे में समानता लाने के लिये जनवरी 2016 में सुरक्षा मदों की संशोधित/अद्यतित सूची भी जारी की गई थी। इससे सुरक्षा मदों की खरीद, वितरण और उपयोग के संबंध में क्षेत्रीयरेलवे में बेहतर समन्वय होगा।
2002 की प्रतिवेदन संख्या 9 का पैरा 3.4.16	7.5 मीटर से अधिक भाग के लिये 12 आरओबी के संबंध में रखरखाव प्रभार प्रस्तुत नहीं किये गये थे जो पुल की लागत की 2.5 प्रतिशत दर पर राज्य सरकार द्वारा वहन की जानी थी।	रेलवे बोर्ड ने पश्चिम रेलवे प्रशासन को शीघ्र ही आवश्यक भुगतान करने हेतु 17 नवंबर 2015 को मुख्य सचिव, महाराष्ट्र सरकार, मुंबई से अनुरोध किया।
2013 की प्रतिवेदन संख्या 25 का पैरा 3.6	उसीरे प्रशासन आवधिक रूप से अपनी भूमि की निगरानी करने में विफल रहा, जिसके परिणामस्वरूप जिला प्रशासन, बोंगाइगांव द्वारा ₹ 12.75 करोड़ (फरवरी 2012 तक) मूल्य वाली भूमि पर अनाधिकृत रूप से कब्जा हुआ।	रेल मंत्रालय ने रेल की भूमि को अतिक्रमण से बचाने के लिये सभी क्षेत्रीयरेलवे को जून 2005 में निर्देश जारी किये।

1.11 पैराग्राफ जिन पर की गई कार्रवाई नोट प्राप्त हुए/लंबित थे

भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की प्रतिवेदन में चर्चा किये गये सभी मामलों पर कार्यकारी का उत्तरदायित्व सुनिश्चित करने के लिये, पीएसी ने निर्णय लिया (1982) कि भारत सरकार के संबंधित मंत्रालय/विभाग को उसमें निहित सभी पैराग्राफों पर की गई सुधारात्मक/उपचारात्मक कार्यवाई नोट (एटीएन) प्रस्तुत करना चाहिये और इसके अतिरिक्त 22 अप्रैल 1997 को संसद में प्रस्तुत अपनी नौंवी प्रतिवेदन (ग्याहरवीं लोक सभा) में वांछित है कि आगे से प्रतिवेदन में शामिल सभी पैराग्राफों पर, लेखापरीक्षा द्वारा विधिवत रूप से पुनरीक्षित सुधारात्मक/उपचारात्मक एटीएन प्रतिवेदन को संसद के पटल पर प्रस्तुत करने के बाद चार माह के अंदर प्रस्तुत करने होंगे।

31 मार्च 2015 को समाप्त वर्ष तक भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक- संघ सरकार (रेलवे) की प्रतिवेदन में शामिल पैराग्राफों पर रेलवे बोर्ड द्वारा प्रस्तुत एटीएन की स्थिति (28 फरवरी 2017) नीचे दी गई है:

तालिका 1.5

वर्ष	**प्रतिवेदन में शामिल किये गये कुल पैराग्राफ**	**पैराग्राफों की संख्या जिन पर एटीएन पूर्ण किये गये थे**	**पैराग्राफों की संख्या जिन पर एटीएन लंबित हैं**				
			प्राप्त न हुये एटीएन	*एटीएन जिन पर रेलवे बोर्ड को टिप्पणियां भेजी गई थीं*	*पूर्ण रूप से पुनरीक्षित एटीएन*	*लेखापरीक्षा द्वारा जांच के अधीन एटीएन*	***कुल***
2003-04	114	113	0	01	0	0	**01**
2005-06	138	134	0	02	02	0	**04**
2009-10	59	57	0	02	0	0	**02**
2010-11	34	28	0	02	02	02	**06**
2011-12	29	18	0	08	0	03	**11**
2012-13	30	12	0	11	02	05	**18**
2013-14	47	12	03	16	04	12	**35**
2014-15	44	05	14	12	02	11	**39**
कुल	**495**	**379**	**17**	**54**	**12**	**33**	**116**

वर्ष 2013-14 और 2014-15 की प्रतिवेदनों से संबंधित 17 पैराग्राफों के संबंध में एटीएन चार माह की निर्धारित अवधि के अंदर प्राप्त नहीं हुये थे। लेखापरीक्षा द्वारा पुनरीक्षण के लिये प्राप्त 54 एटीएन आगे की कार्यवाई हेतु अवलोकन सहित वापस कर दिये गये थे। लेखापरीक्षा द्वारा पुनरीक्षित, 12 एटीएन रेल मंत्रालय द्वारा अभी पूर्ण किये जाने बाकी हैं। 33 मामलों में जहां रेलवे द्वारा बताया गया कि कार्यवाई की गई है लेखापरीक्षा द्वारा जांच के अधीन हैं।